

उत्तर रेलवे

मुख्य चिकित्सा निदेशक कार्यालय,  
प्रधान कार्यालय, बडौदा हाउस,  
नई दिल्ली।

No: 7-Med/E/Policy/Pt-II/2011

Date: 04-11-2011

चिकित्सा निदेशक,  
उ०रे० केन्द्रीय चिकित्सालय,  
नई दिल्ली।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक,  
उत्तर रेलवे, मंडल चिकित्सालय, दिल्ली, अम्बाला, फिरोजपुर, मुरादाबाद लखनऊ।

अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक,  
उत्तर रेलवे जगाधरी वर्कशॉप।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक,  
अतिरिक्त मंडल चिकित्सालय, आर.डी.एस.ओ.- लखनऊ,  
डी.एम.डब्ल्यू पटियाला एवं आर.सी.एफ.- कपूरथला।

विषय.- चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा मामलों के निपटान की समय अनुसूचि एवं दावाकर्ता को ECS/ETF के द्वारा देय योग्य राशि का भुगतान।

Time schedule for processing of medical reimbursement claims and payment of reimbursable amount to claimant through ECS/ETF.

कार्यरत कर्मचारी और सेवानिवृत्त कर्मचारी (रेलवे लाभार्थी) से अधिक संख्या में शिकायत प्राप्त होने पर तथा सतर्कता शाखा प्रधान कार्यालय की अनुशंसा पर मुख्य चिकित्सा निदेशक के अनुमोदन एवं वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी की सहमति के साथ चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत दावा मामलों के निपटान की दिशा में निम्नांकित निर्देश तत्काल प्रभाव से जारी किए जाते हैं:-

लगातार पेज न०2

पेज न०3

अतः मण्डलीय/यूनिट चिकित्सा प्रमुख तथा चिकित्सा निदेशक/ उतर रेलवे केन्द्रीय चिकित्सालय से अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त निर्देशों के अनुरूप आगामी सभी मामलों में समय- अनुसूची का अनुपालन सुनिश्चित करें और प्राप्त दावा मामलों में देय योग्य राशी का भुगतान लाभार्थी को इ.सी.एस./इ.टी.एफ. (ECS/ETF) के द्वारा ही दिए जाने के प्रयत्न किये जायें।

म.के.  
4.7.11

(डॉ० वी० के० सिन्हा)

अपर मुख्य चिकित्सा निदेशक/आई०एच०

प्रति :-

1. महाप्रबंधक/सतर्कता, उ०रे०, प्रधान कार्यालय बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली को उनके पत्र संख्या :- VIG/CT/2011/04/010/N/DLI/CA iii दिनांक: 05.07.2011 के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी/उ०रे०, प्रधान कार्यालय, बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली से निवेदन है कि कृपया आवश्यक कार्यान्वयन हेतु निर्देश जारी करें।
3. वरिष्ठ मण्डल वित्त प्रबंधक/ उ०रे०, दिल्ली, अम्बाला, फिरोजपुर, मुरादाबाद लखनऊ तथा जगाधरी वर्कशॉप को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

म.के.  
4.7.11

(डॉ० वी० के० सिन्हा)

अपर मुख्य चिकित्सा निदेशक/आई०एच०

पेज न०२

**TIME SCHEDULE FOR PROCESSING OF MEDICAL REIMBURSEMENT CLAIMS OF NON-REFERRED CASES TO PRIVATE NON-RECOGNISED HOSPITAL.**

S.No.		Time Schedule
1	The claimant may submit the claim in proper format along with the requisite annexure to be Authorized Medical Officer duly countersigned by the controlling officer. Any claim which is time-barred should be submitted after the delay has been condoned by the Associate Accounts Officer.	Within Six (6) months from the date of discharge.
2	<b>Medical Department (Division/Unit Level)</b> The AMO will scrutinize and countersign the claim as per Railway Board Policy dt. 31.1.2007 and send the case to the Divisional/Central Hospital as the case may be.	Within 10 days
3	<b>CMS/MD/Medical Incharge</b> will scrutinize and after establishing the emergency shall send the case being complete in all respects.	Within 5 days
4	Associate Finance concurrence subject to the case being complete in all respects.	Within 7 days
5	<b>CMS/MS/Medical Incharge</b> will either arrange for the sanction at the divisional level or forward the case to HQ office.	Within 5 days
6	<b>Medical Department (HQ Level)</b> HQ Medical Department to scrutinize the case as per the check-list issued by Finance and if found complete in all respects submit the same to HQ Finance for concurrence.	Within 10 days
7	HQ Finance will concur the Medical Reimbursement claims submitted as per the prescribed check-list and complete in all respects.	Within 7 days
8	On receipt of the cases duly vetted by HQ Finance will submit the case for sanction of AGM/GM/Rly. Bd.	Within 5 days
9	After obtaining the sanction of the competent authority, sanction letter shall be issued to the respective units.	Within 5 days
10	<b>Medical Department (NRCH/Division)</b> On receipt of the necessary sanction letter from the HQ Office the concerned Medical Unit may issue pay order.	Within 5 days
11	Accordingly the account department shall arrange/issue cheque.	Within 7 days

**Note:** All such claims for medical reimbursement for treatments obtained in Recognized Private Hospitals/Cases referred by NRCH to Govt./Recognized Private Hospitals will be dealt with on Bill Payment System and do not require Finance Concurrence.

Sd/-

25.08.2011

DY. FA&CAO/Finance

Sd/-

25.08.2011

Addl. CMD/IH

लगातार पेज न०३